कार्यालय उपजिलाधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अल्मोड़ा

पत्रांक 434 / 30–1– (2024–25) दिनांक 07 / 05 / 2024

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मा0 राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखंड के निर्देश संख्या–118 / रा0नि0आ0–3 / 1260 / 2023 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 तथा जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ना0स्था0नि0) के कार्यालय पत्र सं0–18 दिनांक 03.05.2024 के द्वारा निर्गत निदेशों के अनुपालन के कम में उत्तराखंड नगर निकाय (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना और पुनरीक्षण) पूरक उपबंध आदेश, 1999 (उत्तराखंड में यथा प्रवृत्त) के प्रस्तर–4 के तहत निर्वाचक नामावली में लिपिकीय या मुद्रण की त्रुटि ठीक करने एवं प्रस्तर–5 के तहत निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किये जाने हेतु **दिनांक 08–05–2024 से 15–05–2024 तक नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा के सम्बन्धित वार्ड के मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है।**

अतः ऐसे हितबद्ध व्यक्ति जो उपरोक्तानुसार अपना दावा प्रस्तुत करने के इच्छुक हैं वे सम्बन्धित वार्ड के मतदान केन्द्रों में आयोजित विशेष शिविर में तैनात संगणकों से नियत निर्धारित प्रारूपों में निर्धारित समयावधि में निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं।

तद्नुसार सूचित होवे।

(जयवर्धन शर्मा)
निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /
उपजिलाधिकारी सदर, अल्मोड़ा।

प्रतिलिपिः–

- जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी नागर स्था0 निकाय अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
- अपर जिलाधिकारी / जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(स्थानीय निकाय) अल्मोडा को सूचनार्थ प्रेषित।
- ए0डी0ओ0 पंचास्थानीय चुनावलय, जिला पंचायत परिसर अल्मोड़ा को सूचनार्थ एंव व्यापक प्रचार–प्रचार हेतु प्रेषित।
- **जिला सूचना अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त प्रेस विज्ञप्ति को स्थानीय / दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करवाने का कष्ट करे।**
- तहसीलदार सदर अल्मोड़ा / नगर पालिका, सहा0निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही एंव व्यापक प्रचार–प्रचार हेतु प्रेषित।
- अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद अल्मोड़ा / नगर पालिका, नोडल अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही एंव व्यापक प्रचार–प्रचार हेतु प्रेषित।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /
उपजिलाधिकारी सदर, अल्मोड़ा।